अति आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यान देने योग्य

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/बीएनपी/2011/ ५९५८-५९ जयपुर दिनांक : 22.12.11

1. कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय।
4. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सेटेलाईट अस्पताल।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ।
7. समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
8. समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
11. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
13. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
14. उपनिदेशक, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर।

विषय :— आईएफएमएस मे दर्शाये गये व्यय/बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान का कोषालय से मिलान करने बाबत।

संदर्भ :— विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक : 15.11.2011, 5.12.2011, 9.12.2011 वित्त विभाग का पत्र क्रमांक : F.5(TH-75) DTA/IFMS/Treasury दिनांक 02.11.2011 एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा का पत्रांक : एफ.5(थ–75) कोष/आईएफएमएस/20948–21078 दिनांक 5.12.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि आप आईएफएमएस की विभिन्न रिपोर्टस (व्यय, बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान) की विभाग मे उपलब्ध भौतिक रिपोर्ट से मिलान कर यदि कोई अन्तर/अशुद्धि हो तो संबंधित कोषालय से अशुद्धियों को सही करवाकर प्रमाण–पत्र एवं प्रस्तावित ट्रान्सफर ऐन्ट्री की प्रति इस कार्यालय को दिनांक 30.11.2011 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें, परन्तु अत्यधिक खेद का विषय है कि आप द्वारा अभी तक इस क्रम मे अपेक्षित सूचना विभाग को प्रेषित नही की है। दिनांक 16.12.2011 को मुख्यालय में आयोजित सहायक लेखाधिकारीयों की बैठक में भी उक्त सूचना पूर्ण रूपेण आप द्वारा प्रेषित नही की गई हैं। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2011 को हुई बैठक में पुनः निर्देशित किया हैं कि वांछित प्रमाण प्रत्र अविलम्ब प्रस्तुत करे जिसके अभाव में कोष कार्यालय द्वारा दिनांक 22.12.2011 के पश्चात बिल पारित नहीं किये जायेगे।

इस क्रम मे पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोष कार्यालय से अंक मिलान कर अपेक्षित सूचना विभाग को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करावें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि भौतिक रिपोर्ट से मिलान पर कोई अन्तर/अशुद्धि नही पाई जाती है तो, **"कोई अशुद्धि नही पाई गई एवं स्थानान्तरण प्रविष्टि की आवश्यकता नही है, का प्रमाण–पत्र विभाग को प्रेषित करावें।"** यदि भौतिक सत्यापन मे कोई अन्तर पाया जाता है तो आवश्यक स्थानान्तरण प्रविष्टि संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर व अन्तर का शुद्धिकरण कराकर प्रमाण पत्र भिजवायें कि प्रस्तावित स्थानांतरण प्रविष्टि मे **" दर्शाई गई अशुद्धियों का शुद्धिकरण कोष कार्यालय मे करवा दिया गया है।"**

चूँकि इस प्रकरण मे पूर्व मे ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है अतः इस पत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आईएफएमएस मे उपलब्ध प्रावधान/व्यय/शेष का मिलान कर सही पाये जाने का प्रमाण पत्र अविलम्ब भिजवायें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/बीएनपी/2011/ ५९५८-५९ जयपुर दिनांक : 22.12.11

प्रतिलिपि :— प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

वित्तीय सलाहकार

D:\desktop\Ankmilan\Letters.doc